आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्र वाद सं. 72/2014	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
2/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **सुशांत सिंह, पिता-धमेन्द्र कुमार सिंह, सा0-रामपुर रुद्र, थाना-पानापुर, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2105/गो0 21.6.12 के द्वारा आवेदक सुशांत सिंह, पिता-धमेन्द्र कुमार सिंह, सा0-रामपुर रुद्र, थाना-पानापुर, जिला-सारण का रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त आरम्भ किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 14663/13 से संबंधित है। आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर उनकी उपस्थिति में दिनांक 22.7.2014 को सुनवाई की गयी तथा अभिलेख में संधारित सभी जॉच प्रतिवेदनों एवं कागजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के संदर्भ में दिनांक 22.7.2014 को सुनवाई के कम में आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि वे बी0एस0एन0एल0 में गार्ड हैं। बालाजी इंटरप्राइजेज के वे कर्मचारी हैं। अपनी सुरक्षा के लिए रायफल की अनुज्ञप्ति देने का अनुरोध किया गया है। पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल के विरूद्व किसी प्रकार के खतरे की आशंका से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अंकित नहीं है, इसलिए इस न्यायालय के पत्रांक 896 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के ज्ञापांक 4101/गो0 दिनांक 29.9.14 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।	

पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 4101/गो0 दिनांक 29.9.14 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के पत्रांक 866 दिनांक 23.9.14 एवं थानाध्यक्ष, पानापुर के ज्ञापांक 999 दिनांक 15.9.14 को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। थानाध्यक्ष, पानापुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के विरूद्व थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नही है। इनका गॉव पूरी तरह से उग्रवाद प्रभावित है।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार के खतरे की कोई आशंका प्रतिवेदित नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी प्रकार के शस्त्र की अनुज्ञप्ति देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं0–7/अनु0–10–25/2010 गृ0आ0 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक सुशांत सिंह, पिता–धमेन्द्र कुमार सिंह, सा0–रामपुर रूद्र, थाना–पानापुर, जिला–सारण के द्वारा दिनांक 28.7.2011 को रायफल की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा।	जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा।

ज्ञापांक 10/न्या० दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र उ०शा०, सारण/DIO NIC सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
05/1/15